FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	अप्रार्थी
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	केशरदेवी पत्नी किशनाराम कुम्हार वगैरह रामनगर वगैरह

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर 19 / 2022 **GCMS No. 2022/41**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2022	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्राथीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 28.02.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
28/4/2022	पत्रावली पेश हुई/आज श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 18/4/2022 को पेश हो। 7	
18/4/2022	पत्रावली पेश हुई खातेदारान की आधिपत्य तस्दीकी है राजस्व अभिलेख प्रथम तस्दीक पत्र पर हस्ताक्षर नहीं मिले है, पटवारी हल्का ने सादा चादर की बिक्री की है जो राज. सरकार के परिपत्र / 9-3 (17) राज. 6/2011/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 की परिधि में नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र अग्रिम तारीख तक के लिए निरस्त करते है पटवारी केवल पुराना होकर नकल है आज तक सरिश दायर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	